(वाद सं0–3910/4/26/2021)

06.07.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, भरत साव व उसकी पत्नी को, उसके पुत्र, लाल बाबू साव व पुत्रवधु द्वारा प्रताड़ित करने व हत्या की धमकी से संबंधित सूचना अगमकुँआ थाना को दिये जाने के बाद भी पुलिस पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना सिटी के प्रतिवेदनानुसार परिवादी द्वारा अपने पुत्र व पुत्रवधु से अपने मकान को खाली करवाने हेतु अगमकुँआ थाना को एक आवेदन दिया गया था जिस आवेदन के आलोक में वरीय पुलिस पदाधिकारी द्वारा मकान को खाली करा दिया गया है। प्रतिवेदनानुसार अब परिवादी व उसके पति शांतिपूर्वक अपने घर में रहकर कमा खा रहे है तथा उसे अब किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। अपने प्रतिवेदन के साथ पुलिस द्वारा परिवादी, भरत साव व वीणा देवी द्वारा थानाध्यक्ष, अगमकुँआ को दिये गये आवेदन की छायाप्रति भेजी गयी है जिसमें उल्लेखित है कि पुलिस द्वारा उसके मकान को खाली करवा दिया गया है तथा अब उन्हें अपने पुत्र व पुत्रवधु से कोई परेशानी नहीं है।

अब, जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से अग्रेतर कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिवेदन के आलोक में राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक